भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1429

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**गेहूं और चावल का भण्डार**

1429. श्री रवि शंकर प्रसाद:

श्री राम जेठमलानी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में आवश्यकता से अधिक गेहूं और चावल का भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो देश में जुलाई, 2011 में गेहूं और चावल की मात्रा खपत की आवश्यकता से कितनी अधिक थी;

(ग) क्या खाद्यान्नों की अधिक मात्रा की वजह से, इस निगम पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 2011-12 के दौरान इस अतिरिक्त भण्डार की वजह से निगम पर कितना आर्थिक दबाव बढ़ने की संभावना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क) और (ख):** भारतीय खाद्य निगम के पास 1-11-2011 की स्‍थिति के अनुसार उसके गोदामों में 244.97 लाख टन खाद्यान्‍नों का स्‍टाक है जबकि ढकी हुई और कवर तथा प्‍लिंथ, दोनों अपनी और किनाए की भंडारण क्षमता 333 लाख टन है। राज्‍य एजेंसियां भी केन्‍द्रीय पूल के लिए खाद्यान्‍नों का भंडारण करती हैं। 1-11-2011 की स्‍थिति के अनुसार केन्‍द्रीय पूल में 557.54 लाख टन स्‍टाक था जबकि 2010-11 के दौरान भारत सरकार की विभिन्‍न स्‍कीमों के अधीन चावल और गेहूँ का 530.34 लाख टन उठान हुआ और 684.86 लाख टन का आबंटन किया गया। 1-7-2011 की स्‍थिति के अनुसार केन्‍द्रीय पूल में 640.06 लाख टन खाद्यान्‍नों का स्‍टाक था।

**(ग) और (घ):** केन्‍द्रीय पूल में खाद्यान्‍नों का स्‍टाक 1-11-2010 की स्‍थिति के अनुसार 487.31 लाख टन से बढ़कर 1-11-2011 की स्‍थिति के अनुसार 557.54 लाख टन हो गया है। इसके परिणामस्‍वरूप भारतीय खाद्य निगम की कार्यशील पूंजीगत आवश्‍यकता बढ़ गई है। सरकार ने अप्रैल, 2011 में भारतीय खाद्य निगम को 10,000 करोड़ रुपये का अर्थोपाय अग्रिम दिया है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम की नकद ऋण सीमा भी 34.495 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 41,095 करोड़ रुपये कर दी गई है।

केन्‍द्रीय पूल में स्‍टाक स्‍तर को कम करने और मुद्रास्‍फीति के रूझान को रोकने तथा साथ ही राज्‍यों की अतिरिक्‍त आवश्‍यकता पूरी करने के लिए भी भारत सरकार द्वारा निम्‍नलिखित पग उठाए गए हैं:-

1. समय-समय पर विशेष अतिरिक्‍त आबंटन किए गए हैं।
2. खुला बाजार बिक्री योजना(घरेलू) के अधीन आबंटन किए गए हैं।
3. माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के निदेशों के अनुसार देश के निर्धनतम जिलों के लिए आबंटन किए गए हैं। \*\*\*\*\*\*